2006 : CGHC : 6140

उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका सं. 5895/2000

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका

श्रीमती उत्तराबाई, पति श्री माखन लाल, आयु 26 वर्ष, : निवासी-दामापुर, तहसील पंडरिया, जिला कवर्धा।

.....याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, महिला एवं बाल : विकास, वल्लभ भवन, भोपाल।

2. जनपद पंचायत, पंडरिया, जिला कवर्धा, द्वारा : मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर।

4. कलेक्टर, कवर्धा।

5. नायब तहसीलदार, उप तहसील कुंडा, जिला कवर्धा।

6. श्री रमेश कुमार, पिता अज्ञात, निवासी-दामापुर, तहसील पंडरिया, जिला कवर्धा।

.....उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006 : CGHC : 6140

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 5895/2000

याचिकाकर्ता	:	श्रीमती उत्तराबाई

विरुद्ध

उत्तरवादीगण	:	मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री पी. के. भादुड़ी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ।

उत्तरवादीगण संख्या 3 से 5 के लिए श्री एन. के. अग्रवाल, उप महाधिवक्ता और श्री सतीश गुप्ता, उप शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण संख्या 1 और 6 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

(17 नवंबर, 2006)

1. याचिकाकर्ता को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और आदेश दिनांक 19.3.1998(संलग्नक पी/3) द्वारा दामापुर में पदस्थ किया गया था। याचिकाकर्ता को इस आधार पर सेवा से हटा दिया गया था कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति में अनियमितता थी, क्योंकि उसका रिश्तेदार ग्राम/जनपद पंचायत, दमापुर का पदाधिकारी है।

2. व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने आयुक्त (राजस्व), रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त ने विचार करने के बाद आदेश दिनांक 29.2.2000(संलग्नक पी/11) द्वारा अपील निरस्त कर दी।

3. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 5.5.1999 (अनुलग्नक पी/10) और उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.2.2000 (अनुलग्नक पी/11) को रद्द करने के लिए रिट/निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि उत्तरवादियों/प्राधिकारियों ने कार्यकारी निर्देश दिनांक 27.5.1996 (अनुलग्नक पी/1) के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को हटाने से पहले, विहित प्रक्रिया यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के विरुद्ध गंभीर शिकायत के प्रकरण में, संबंधित ग्राम पंचायत को इसके लिए एक संकल्प पारित करना होगा और पर्यवेक्षक को भेजना होगा। शिकायत की जांच करने के बाद पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को हटाने के लिए कदम उठाएगा। इसमें ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि संबंधित कर्मचारी पर सेवा से हटाने का दंड अधिरोपित करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए या उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए।

5. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी आदेश, जो दंडात्मक प्रकृति का हो तथा जिसके सिविल परिणाम हों, संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय तथा निष्पक्षता का सिद्धांत

केवल सभी प्रशासनिक आदेशों को उजागर करना है, भले ही परिपत्र में ऐसा करने का उपबंध न हो। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उन सभी प्रकरणों में पालन किया जाना चाहिए जहां कोई भी आदेश, जो दंडात्मक प्रकृति का हो, पारित किया जाता है।

6. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता का साला धनव राम उसी ग्राम पंचायत अर्थात ग्राम पंचायत, दमापुर में उप–सरपंच था। ऐसी स्थिति में, जांच आयोजित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आदेश किसी भी शिकायत या गंभीर अनियमितताओं के आधार पर पारित नहीं किया गया है।

7. परिपत्र दिनांक 27.5.1996 (अनुलग्नक पी/1) में स्पष्ट रूप से उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत राज संस्थान या स्थानीय निकायों के पदाधिकारी का निकट संबंधी या शासकीय कर्मचारी या निर्वाचित या नामित सदस्य हो, को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तथापि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को एक विशेष क्षेत्र के भीतर पंचायत कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार, नातेदार की परिभाषा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में "अधिनियम, 1993") के उपबंधों से ली जा सकती है। अधिनियम, 1993 में प्रयुक्त शब्द "नातेदार" परिपत्र में प्रयुक्त शब्द "नातेदार" का समविषयक है। "अर्थान्वयन के इस नियम के अनुप्रयोग में एक ही विषय से संबंधित कई विधियों के मध्य किसी भी स्पष्ट विरोधाभास के वर्जन का गुण है "(श्री गुरु प्रसन्ना सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत(Principles of Statutory Interpretation), दसवां संस्करण, 2006, पृष्ठ 278)। "नातेदार "को अधिनियम, 1993 की धारा 69 में परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "69. 2 [परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सचिव का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा यदि ऐसा व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का नातेदार है।
>
> स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "नातेदार" का अर्थ है पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, श्वसुर, सास, साला बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद या पुत्रवधु ।]"

8. **विवेका नंद सेठी विरुद्ध अध्यक्ष, जे एंड के बैंक लिमिटेड और अन्य**[1] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 22 में निम्नलिखित अवधारित किया था : –

> "22. यह अतिसामान्य है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कोई बेलगाम अनियंत्रित घोड़ा नहीं है। जब तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, तो जांच महज एक औपचारिकता होगी। यहां तक कि विबंध का सिद्धांत भी प्रयोज्य होगा। [गुरजीवन ग्रेवाल (डॉ.) विरुद्ध डॉ. सुमित्र दास का प्रकरण देखें।] प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन, तथ्य और स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना अपेक्षित है। इसे अनम्य सूत्र में नहीं रखा जा सकता है। इसे प्रकरण के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों से अलग रखकर लागू नहीं किया जा सकता है। (पंजाब राज्य विरुद्ध जागीर सिंह और कर्नाटक एस. आर. टी. सी. विरुद्ध एस. जी. कोटुरप्पा का प्रकरण देखिये) "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस बात में कोई संदेह या विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का निकट संबंधी अर्थात साला उसी ग्राम पंचायत का उप–सरपंच निर्वाचित किया गया है और इस प्रकार, वह पद धारित करने की हकदार नहीं थी। इसलिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उसे पदस्थ होने के लिए अनर्ह घोषित किया गया था। निर्वाचित उप–सरपंच का "नातेदार" होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है और इस प्रकार, इसकी जांच महज एक औपचारिकता होगी।

10 . उपर्युक्त कथित कारणों से यह याचिका निरस्त की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

---

1 (2005) 5 SCC 337

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

बबलू

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur